

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 631 / 2025

मनीषा मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय) उदयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.04.2025

आदेश की दिनांक : 16.04.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री वी. एस. भावला, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड-III (लेवल-1) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनबाई, ब्लॉक नयागांव, जिला उदयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि 6 डी सेटअप परिवर्तन आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक-ए/1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हर्षवाड़ा, ब्लॉक नयागांव जिला उदयपुर में किया गया है। जो कि अपीलार्थी के वर्तमान विद्यालय से लगभग 40 कि.मी. दूर है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी के 5 महीने की एक छोटी बच्ची है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हर्षवाड़ा में नियुक्त होने पर अनेक समस्याओं के सामना करना पड़ेगा। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित स्थान के पास पी.ई.ई.ओ. विद्यालय में अध्यापक लेवल-1 का पद रिक्त है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 14.11.2024 के

- कार्मिकों के समायोजन के दिशा-निर्देश बिंदु 15 के तहत उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर पदस्थापन किया जाएगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाए जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरंतर अध्यापक ग्रेड-III (लेवल-I) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनबाई, ब्लॉक नयागांव, जिला उदयपुर में कार्य करने दिया जावे।
3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
 4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदे” 1 प्रदान किये जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
 5. प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
 6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य